पत्रांक......648......./र0का0

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लखीसराय।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

लखीसराय, दिनांकः– 08/03/2021

विषयः– लखीसराय पुलिस के विभिन्न प्रतिष्ठानों में भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन निविदा का प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि लखीसराय पुलिस के विभिन्न प्रतिष्ठानों में भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने से संबंधित अल्पकालीन निविदा का मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न अल्पकालीन निविदा को राज्य के मुख्य दो हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय। कृपया समाचार पत्र में प्रकाशन के उपरांत तत्संबंधी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट किया जाय।

कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः–1.प्रकाशन का प्रारूप एवं प्रारूप का C.D. पाँच प्रति में।

विश्वासभाजन्

8/3/21

पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, लखीसराय को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस निविद को जिले के बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट किया जाए।
4. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस निविदा को बिहार पुलिस के बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट किया जाए।

8/3/21

पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लखीसराय।
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–03/2021

1. विभाग का नामः– पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लखीसराय।
2. विज्ञापन दाता का नामः– पुलिस अधीक्षक, लखीसराय।
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय– दिनांक–31.03.2021 – 16:00 बजे तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय– दिनांक–05.04.2021 – 11:00 बजे
5. विवरणी/कार्य का ब्यौराः–

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में लखीसराय पुलिस को विधि–व्यवस्था संधारण/अन्य परियोजनार्थ हेतु थाना/अन्य प्रतिष्ठानों में भाड़े पर बोलेरो/टाटा सूमो/इनोवा/जाईलो/स्कॉपियो/स्टॉम/एस0यू0भी0 या अन्य चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। वाहन भाड़े पर उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/प्रतिष्टान/आपूर्तिकर्ताओं अपने वाहन के सभी कागजात के साथ तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। निविदा द्वि–पद्वति लिफाफे में (प्रथम लिफाफे "A") में तकनीकी संबंधी प्रपत्र यथा फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, निबंधन संख्या, बीमा की रसीद, अद्यतन कर भुगतान प्रमाण–पत्र के साथ जी0एस0टी0 का निबंधन प्रमाण पत्र/आयकर विभाग का पैन नंबर/काली सूची में दर्ज नहीं होने का एक शपथ पत्र/पूर्व में किसी सरकारी कार्यालय को आपूर्ति कराये गये कार्य अनुभव से संबंधित कागजातों की हस्ताक्षरित छायाप्रति अनिवार्य है एवं दूसरे लिफाफे "B" में वित्तीय निविदायें होनी चाहिए। वित्तीय निविदा शर्त में निर्धारित विहित प्रपत्र के अनुरूप होना चाहिए। इन दोनों ("A" एवं "B") लिफाफे अलग–अलग मुहरबंद होनी चाहिए, जिन पर तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा का नाम दर्शाया हुआ हो तथा दोनो लिफाफे को एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखते हुए मुहर बंद कर भेजना अनिवार्य होगा। निविदा अधोहस्ताक्षरी के गोपनीय शाखा में हाथों–हाथ या डाक के माध्यम से सीलबंद स्थिति में प्राप्त किया जाएगा एवं निर्धारित तिथि को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जाएगा। निविदा से संबंधित सम्पूर्ण विवरणी एवं शर्त्ते बिहार पुलिस के बेवसाईट www.biharpolice.bih.nic.in एवं लखीसराय जिला के बेवसाईट पर www.lakhisarai.bih.nic.in तथा पुलिस केन्द्र, लखीसराय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–03/2021 से संबंधित विवरणी/नियम/शर्त्ते

- **तकनीकी निविदा की शर्त्तेः–**

1. वाहन मालिक/एजेन्सी को वाहन (जो व्यवसायिक वाहन के रूप मे निबंधित होना चाहिए) के निबंधन संख्या (व्यवसायिक) अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. वाहन मालिक/एजेन्सी को वाहन की अद्यतन रसीद संलग्न करना होगा।
3. वाहन मालिक/एजेन्सी को वाहन का अद्यतन कर भुगतान प्रमाण–पत्र एंव प्रदूषण संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. वाहन मालिक/एजेन्सी को वाहन का अद्यतन वैध फिटनेस प्रमाण पत्र संलग्न करनी होगी।
5. कोई भी निविदा निर्धारित समय सीमा के बाद स्वीकार नही किया जायेगा।
6. निविदाता को निविदा के साथ मो0–10,000/–(दस हजार) रू0 मात्र का बैक ड्राफट, जो किसी राष्टीयकृत बैक के द्वारा निर्गत हो तथा पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के पक्ष मे देय हो, संलग्न करना होगा।
7. एजेन्सी को वाहन मालिक के साथ किये गये एकरारनामा की प्रति संलग्न करनी होगी।
8. चालक को अ़द्यतन निजी/व्यवसायिक वाहन की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।
9. वाहन मालिक/एजेन्सी को निविदा के साथ पैन नं0/टैन नं0 एंव आधार नं0 की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
10. एजेन्सी को उसका नाम काली सूची मे दर्ज नही रहने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

- **वित्तीय निविदा की शर्त्त**

निविदादाताओ को वाहन का दर (वाहन के किस्म एव प्रकार के अनुसार) निम्न प्रपत्र मे देना होगाः–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार यथा बोलेरो/टाटा सूमो/ इनोवा/ जाईलो/स्कॉपियो/ स्र्टाम/ सफारी/SUV आदि	एसी0 /नन एसी0	चालक सहित ईधन रहित दर प्रति माह प्रति वाहन	ईधन सहित चालक सहित वाहन का दर प्रति माह प्रति वाहन प्रति माह अधिकतम 1000 कि0मी0	ईधन रहित चालक सहित वाहन का परिचालन का दर प्रति माह प्रति वाहन
1	2	3	4	5	6

- **नोटः–**

1. ईधन सहित वाहनों के लिए एक माह 1000 कि0मी0 से अधिक दूरी होने पर प्रति किलोमीटर दर प्रति वाहन (वाहन के प्रकार के अनुसार) अलग से देना होगा।
2. इच्छुक निविदादाताओ को वाहन के प्रकार के अनुसार उपर्युक्त विहित प्रपत्र मे वाहनों का दर अलग–अलग उद्घृत करना होगा।

- **सामान्य शर्तेः–**

1. वाहन मालिक/एजेन्सी को लखीसराय पुलिस के साथ एकरारनामा करना होगा।
2. भाड़े पर वाहन बारह महीन के लिए लिया जायेगा जिसकी अवधि आपसी सहमति से आवश्कतानुसार बढ़ायी जा सकेगी।
3. भाड़े पर लिए जानेवाले वाहन का दैनिक रख–रखाव एवं चालक के पारिश्रमिक (चालक सहित वाहन मे) पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन वाहन मालिक के द्वारा किया जाएगा।
4. वाहन 24 घंटे लखीसराय पुलिस/संबंधित पुलिस प्रतिष्ठान के अधीन रहेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/एजेन्सी को तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
5. उपर्युक्त शर्तो के अनुरूप मासिक न्यूनतम Bid देने वाले के साथ एकरनामा किया जाएगा।

6. सरकारी कार्यालय में वाहन आपूर्ति किये जाने संबंधी अनुभव रखने वाले एवं स्थानीय आपूर्तिकर्ता का प्राथमिकता दी जाएगी (इस संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा)
7. निविदा को बिना कोई कारण बताये संशोधन/स्थगित/रद्द करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के पास सुरक्षित रहेगा।
8. किसी विवाद की स्थिति में पुलिस अधीक्षक, लखीसराय का निर्णय अंतिम होगा।
9. नियमानुसार वैट/आयकर की कटौती की जाएगी।

- **निविदा की प्रक्रियाः–**

1. सभी इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी के द्वारा तकनीकी निविदा की वर्णित शर्तें के अनुरूप वांछित कागजात तकनीकी निविदा के दस्तावेज के रूप में जमा करने होगें।
2. पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के द्वारा गठित समिति के द्वारा उक्त वर्णित कागजातों के जांचोपरांत तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की घोषणा की जाएगी, जिसके पश्चात् सभी तकनीकी रूप से सफल निविदा दाता की वितीय निविदा खोली जाएगी।
3. न्यूनतम मासिक दर देने वाले निविदादाता को सफल निविदादाता घोषित किया जाएगा।
4. ईधन सहित वाहनों का एक हजार कि0मी0 से अधिक दूरी होने पर किसी भी निविदादाता द्वारा उक्त वाहन हेतु दिया गया प्रति कि0मी0 न्यूनतम दर पर हीं सफल निविदादाता को कार्य करना होगा।
5. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा गठित समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।